सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36 राँची, बुधवार

22 आश्विन, 1937 (श०)

14 अक्टूबर, 2015 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 314-317

भाग 1—क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1—ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक अ ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

योजना-सह-वित्त विभाग

संकल्प

8 अक्टूबर, 2015

विषय: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा RIDF-XX के तहत् 41-वन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 1787.09 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- अर्थोपाय (30)-24/2015/583/बजट, राज्य में RIDF-XX के तहत् कुल 41-वन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवत्र्तन विभाग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए नाबार्ड के पत्र सं॰ NB.JH.SPD/3419/RIDF-XX-41 Forest/145th PSC/2014-15 दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 द्वारा रुपये 1787.09 लाख की ऋण राशि स्वीकृत है। अतः मंत्रिपरिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में निम्न शत्र्तों के साथ नाबार्ड से ऋण आहरण करने का निर्णय लिया जाता है:-

2. परियोजना की कुल लागत रुपये 4059.11 लाख है, जिसमें नाबार्ड से रुपये 1787.09 लाख एवं राज्य संसाधन का हिस्सा रुपये (1621.55+650.47) 2272.02 लाख शामिल है ।

3. प्रशासी विभाग द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण राशि का आहरण यथा; अनुसूची-I, वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में किया जाना था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 समाप्त हो जाने के कारण ऋण राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं आगामी वर्षों में किये जायेंगे।

4. ऋण के सामान्य एवं विशेष शर्त्ते नाबार्ड के स्वीकृति पत्र में अंकित है। इसका अनुपालन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जायगा।

5. नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण प्राप्त करने के लिए योजना का त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन प्रशासी विभाग द्वारा सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभाग के माध्यम से वित्त प्रभाग, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके आधार पर नाबार्ड से ऋण राशि का आहरण किया जायेगा । ऋण की मूल राशि एवं इसपर देय ब्याज राशि का भुगतान योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा की जायेगी, जिसके लिए वित्तीय बजट का प्रावधान किया जायेगा।

6. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग NABARD RIDF से संचालित योजना का अपनी website पर प्रारम्भ से अद्यतन की स्थिति संधारित करेगा।

7. चालू (on going) योजना की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विभागीय website पर update करेगा।

8. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग निर्माण गुणवत्ता का स्वतंत्र evaluator से भी monitoring करायेगा तथा विशेष ध्यान देगा एवं इसे भी website पर update करेगा।

9. संबंधित वन क्षेत्र अगर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्वामित्व में नहीं हो तो संबंधित विभागों से स्वामित्व प्राप्त कर, Defect-Liability period **के** बाहर हो तथा नये Tender के अनुरूप इसका कठोरता से पालन किया जाय।

10. यह संकल्प विभागीय संलेख 555/बजट, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के मद सं॰-10 के रूप में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 36–50+200 ।